न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री नरेन्द्र सिह,कुल्हरी आर0ए0एस0

प्रार्थना–पत्र सं0 : 16 सन 2016

अनवान :–

1. केसरदेवी पत्नी देवीलाल जाति जाट साकिन दलपतपुरा हाल निवासी राणीसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

सायला

बनाम

1. बेगाराम पुत्र श्री अर्जन जाति जाट साकिन राणीसर तहसील नोहर।
2. देवकी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट सकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
3. सुन्दर पत्नि कृष्णलाल जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
4. राजबाला पत्नी लिलाधर जाति जाट निवासी दलपतपुरा तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
6. उप पंजीयक नोहर उप तहसीलदार रामगढ तहसील नोहर।

गैर सायलान

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत
अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर शर्मा अधिवक्ता सायल
श्री हवासिह अभिभाषक, गैर सायल
निर्णय दिनांक :– 26/4/16

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने दिनांक 08.02.2016 को विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा राणीसर तहसील नोहर के खाता स0 5/5 के खसरा न0 20 की 13 बीधा, खसरा न0 4 की 89 बीधा 03 बिस्वा, खसरा न0 16 की 21.02 बीधा, खसरा न0 25 की 6.16 बीधा, खसरा न0 81 की 27.02 बीधा, खसरा न0 134 की 61.11 बीधा , खसरा न0 136 की 43.11 बीधा खसरा न0 159 की 35.16 बीधा, खसरा न0 293 की 0.14 बीधा , खसरा न0 296 की 8.10 बीधा कुल तादादी 320.18 बीधा भूमि थी जिसमें अर्जून पुत्र श्योजी जाति जाट अकेला 5115 हिस्सा के सहखातेदार काश्तकार थे अर्जून पुत्र श्योजी के फौतदगी बाद उनके दो पुत्रों बेगाराम व भूराराम पर औद हुई है एव उन्होने अपनी भूमि का खाता विभाजन करवा लिया जिसके कारण गैर सायल न0 1 के हिस्से में रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 4/1 की 10.5090हैक्, खसरा न0 25 की 1.7200हैक्, खसरा न0 81 की 6.8670हैक , खसरा न0 134/1 की 8.5740हैक , खसरा न0 293 की 0.1770है खसरा न0 296 की 2.1500हैक कुल तादादी 29.9970हैक भूमि हिस्से में आई है जिसमें से 340 हिस्सा भूमि को व 399 हिस्सा का बैयनामा गैरसायल न0 2 को करा दिया है एवं गैरसायल न0 1 के हिस्से में शेष 1628 हिस्सा भूमि शेष रही है। गैरसायल न0 1 ने शेष बची 1628 में से 200 हिस्सा यानी 10.00 बीधा का बैयनामा गैरसायल न0 3 को करवा दिया एवं गैरसायल न0 1 ने 29.01.2016 को 500 हिस्सा यानि 25.00 बीधा भूमि का बेयनामा गैरसायल न0 2 की पुत्रवधु राजवाला पत्नी लीलाधर के नाम से करवा दिया एवं इस प्रकार से गैरसायल न0 1 के शेष 980 हिस्सा भूमि शेष रही है जिसका वर्तमान में गेरसायल न0 1 अकेला खातेदार काश्तकार है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)

रोही मौजा राणीसर के खाता स0 105/57 में गैरसायल न0 1 के नाम 908 हिस्सा भूमि कर्ताखानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें सायला व गैरसायल न0 2 बहिब के खातदेार काश्तकार है गैरसायल न0 1 ने अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान पूर्व में कर चुका है जिसके कारण गैरसायल न0 1 को कोई

हक व हिस्सा वाद भूमि में नही रहा है। किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वह सायला के हको को नुकसान पहुचाने की नियत से कभी भी रहन बेय कर सकता है जिसके कारण सायला के हको को नुकसान होगा सायला के हकों की सुरक्षा हेतु गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे कि वह रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 4/1 की 10.5090हैक, खसरा न0 25 की 1.7200हैक, खसरा न0 81 की 6.8670हैक , खसरा न0 134/1 की 8.5740हैक , खसरा न0 293 की 0.1770है खसरा न0 296 की 2.1500हैक कुल तादादी 29.9970हैक भूमि को ताफैसला दावा रहन बैय ना करे।

सायला का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 2 ता 6 के विरूद्व किसी प्रकार की कोई रिलिफ नही होने के कारण तल्बी व जबाब की आवश्यकता नही है गैरसायल न0 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की वास्तविक तथ्य है कि गैरसायल न0 1 के पास रोही मौजा राणीसर में 2367 हिस्सा भूमि थी यदि गैरसायल न0 1 के अपने हिस्सा में 1/3 हिस्सा भूमि मानी जाती है तो भी 200 हिस्सा व 500 हिस्सा कुल 700 हिस्सा भूमि का बैयनामा करवाने के बाद 89 हिस्सा ही भूमि शेष रहती है इसलिये सायला एवं गैरसायला न0 2 गैरसायल न0 1 के पास बची 928 हिस्सा में बहिब की हकदार किसी कदर नही है। गैरसायल न0 1 ने 340 हिस्सा भूमि का बैयनामा सायला को व 399 हिस्सा भूमि का बैयनामा गेरसायल न0 2 को जो अपनी सगी पुत्रिया है बिना प्रतिफल लिये करवाया था जो उनके हक व हिस्सा की भूमि प्राप्त होना माना जावेगा। सायला ने अपने हको की धोषणा करवाने का वाद पेश किया है जो खाता विभाजन के बिना नही कर सकती है वाद भूमि पर सायला का कब्जा नही है तथा गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सायला खारिज फरमाया जावे। जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सनी गई ।

वकील सायला के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए व्यक्त किया की वादभूमि कुल तादादी 320.18 बीधा भूमि थी जिसमें अर्जून पुत्र श्योजी जाति जाट अकेला 5115 हिस्सा के सहखातेदार काश्तकार थे अर्जून पुत्र श्योजी के फौतदगी बाद उनके दो पुत्रों बेगाराम व भूराराम पर औद हुई है एव उन्होने अपनी भूमि का खाता विभाजन करवा लिया जिसके कारण गैर सायल न0 1 के हिस्से में रोही मौजा राणीसर के खसरा न0 4/1 की 10.5090हैक, खसरा न0 25 की 1.7200हैक, खसरा न0 81 की 6.8670हैक , खसरा न0 134/1 की 8.5740हैक , खसरा न0 293 की 0.1770है खसरा न0 296 की 2.1500हैक कुल तादादी 29.9970हैक भूमि हिस्से में आई है जिसमें से 340 हिस्सा भूमि को व 399 हिस्सा का बैयनामा गैरसायल न0 2 को करा दिया है एवं गैरसायल न0 1 के हिस्से में शेष 1628 हिस्सा भूमि शेष रही है। गैरसायल न0 1 ने शेष बची 1628 में से 200 हिस्सा यानी 10.00 बीधा का बैयनामा गैरसायल न0 3 को करवा दिया एवं गैरसायल न0 1 ने 29.01.2016 को 500 हिस्सा यानि 25.00 बीधा भूमि का बेयनामा गैरसायल न0 2 की पुत्रवधु राजवाला पत्नी लीलाधर के नाम से करवा दिया एवं इस प्रकार से गैरसायल न0 1 के शेष 980 हिस्सा भूमि शेष रही है जिसका वर्तमान में गेरसायल न0 1 अकेला खातेदार काश्तकार है। रोही मौजा राणीसर के खाता स0 105/57 में गैरसायल न0 1 के नाम 908 हिस्सा भूमि कर्ताखानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें सायला व गैरसायल न0 2 बहिब के खातदोर काश्तकार है गैरसायल न0 1 ने अपने हक व हिस्सा से अधिक भूमि

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

का बेचान पूर्व में कर चुका है जिसके कारण गैरसायल न0 1 को कोई हक व हिस्सा वाद भूमि में नही रहा है। किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जिसके कारण वह सायला के हको को नुकसान पहुचाने की नियत से कभी भी रहन बेय कर सकता है जिसके कारण सायला के हको को नुकसान होगा सायला के हकों की सुरक्षा हेतु गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे की वादभूमि को ताफैसला दावा रहन बैय नही करे।

वकील गैरसायल न0 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया की गैरसायल न0 1 के पास रोही मौजा राणीसर में 2367 हिस्सा भूमि थी यदि गैरसायल न0 1 के अपने हिस्सा में 1/3 हिस्सा भूमि मानी जाती है तो भी 200 हिस्सा व 500 हिस्सा कुल 700 हिस्सा भूमि का बैयनामा करवाने के बाद 89 हिस्सा ही भूमि शेष रहती है इसलिये सायला एवं गैरसायला न0 2 गैरसायल न0 1 के पास बची 928 हिस्सा में बहिब की हकदार किसी कदर नही है। गैरसायल न0 1 ने 340 हिस्सा भूमि का बैयनामा सायला को व 399 हिस्सा भूमि का बैयनामा गेरसायल न0 2 को जो अपनी सगी पुत्रिया है बिना प्रतिफल लिये करवाया था जो उनके हक व हिस्सा की भूमि प्राप्त होना माना जावेगा। सायला ने अपने हको की धोषणा करवाने का वाद पेश किया है जो खाता विभाजन के बिना नही कर सकती है वाद भूमि पर सायला का कब्जा नही है तथा गैरसायल न0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्व किसी प्रकार की निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सायला खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि गैरसायाल न0 1 के नाम से बतौर रिकार्डेड खातेदार दर्ज है गैर सायल न0 1 ने 399 हिस्सा भूमि का बैयनामा पूर्व में ही सायला को करवाया जा चुका है अब गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज भूमि में सायला का कोई हक व हिस्सा है या नही यह तथ्य तो वाद में तय किये जाने है प्रार्थना पत्र में तो यह देखा जाना है प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति के बिन्दु किसके पक्ष में है। गैरसायल न0 1 वर्तमार राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है सायला वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि में किसी प्रकार की टिनेन्ट नही है। अर्थात प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायल न0 1 के पक्ष में है। सायला के कथनों के अनुसार गैरसायल न 1 को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति गैरसायल न0 1 को होगी । सायला के द्वारा भी ऐसा कोई ठोस कारण व्यक्त नही किया गया जिससे गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो मात्र कथनों के आधार पर किसी रिकार्डेड खातेदार को पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा दिनांक 08.02.2016 को जारी की गई अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 26/4/16 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(नरेन्द्र सिंह कुल्हरी)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर